न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 97/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कृषि उपज मण्डी समिति भीलवाड़ा (राज0) —— प्रार्थी	**बनाम**	1.मै0एस0बी0जे0रिटेल्स प्रो0 श्रीमती रिंकु पत्नि अंकित बांगड़ निवासी महिला आश्रम के पास, शारदा कॉलोनी, भीलवाड़ा द्वितीय पता–श्रीमती रिंकू बांगड़ शॉप नं0 एफ 107 श्री क्लॉथ मार्केट पुर रोड़ भीलवाड़ा तृतीय पता–श्रीमती रिंकू पत्नि अंकित बांगड़ निवासी आ0नं0 1/2037 सरकारी स्कूल के सामने ग्राम हलेड़ पं0स0सुवाणा ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थितः— श्री दीपक सैनी— वकील प्रार्थी

आदेश

दिनांक : 12/06/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा आसीन्द जिला भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीया श्रीमती रिंकू पत्नि अंकित बांगड़ निवासी भीलवाड़ा को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर सांगानेर रोड़, चित्रकूट के सामने ग्राम केवाड़ा तहसील भीलवाड़ा की आ0नं0 103, 104, 141 से 156, 785/179 में स्थित भूखण्ड संख्या 78 जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, तथा भूखण्ड संख्या 78 ए एवं 79 ए जिनका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट के हैं जो श्रीमती चन्दा धर्मपत्नि जगदीशचन्द्र कोठारी के स्वामित्व के थे जिन्हें पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 14.07.2015 से अप्रार्थीया श्रीमती रिंकू पत्नि अंकित बांगड़ ने तथा ग्राम हलेड़ की आबादी में स्थित भूखण्ड ग्राम पंचायत की पत्रावली संख्या 1/2037 में जारी पट्टा संख्या 154 दिनांक 16.10.1981 से 85 गुणा 160 फीट का श्री भैरू पिता नानू माली निवासी बतका का खेड़ा को जारी है इसमें से श्री भैरू माली ने अप्रार्थीया को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 01.02.2010 से उक्त भूखण्ड में से 85 गुणा 40 फीट कुल 3400 वर्गफीट भूमि को क्रय कर स्वामित्व प्राप्त किया । अपने स्वामित्व की ग्राम केवाड़ा के भूखण्ड संख्या 78 एवं 78ए–79ए तथा ग्राम हलेड़ के आबादी में स्थित आवासीय

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

भूखण्ड जिसका कुल क्षैत्रफल 3400 वर्गफीट है। इन पर स्थित भवन एवं भूमि के समस्त हक हकूकों सहित रहन रखा गया । अप्रार्थीया के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:–

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा